

संख्या- 7402/15-7-161651/2001

प्रेषक,

श्री. राम कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, सुहाय केन्द्र,
प्रोग्रेस विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुदान

तखनऊ: दिनांक: 4 नवम्बर, 2001

विषय:- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से संस्कृत हेतु अनापत्त प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे एक फ्लैट का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से संस्कृत हेतु अनापत्त प्रमाण पत्र सिधे जाने हैं इस राज्य सरकार को निम्नलिखित शर्तियों के अधीन अनापत्त नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत संस्थापिका का सम्य-सम्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रमुख समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चोंके लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघानित विद्यालयों में विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की प्रार्थना नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संस्था केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष केन्द्रीय परिषदों की संस्कृत प्राप्ति होने की तिथि तक 30प्र0 परीक्षा परिषद द्वारा प्रदात मान्यता तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।